FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

कौशलाराम बनाम लक्ष्मणाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 312/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/10/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/10/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई बावजूद तामिल उपस्थित नहीं हुआ। जिसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत पास-पास आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच जो पुरानी मेड [illegible]	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:10:05 IST
Reason: SelfAttested

हुए हैं यह आबादियों की वजह से खिसक गए हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य खेत के मेढ़ो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने के लिए नोखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नोखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नोखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर नोखमबंदी मौके पर कमीशन शुल्क जमा कराकर करा पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसलशुदा हो पूर्ण नम्बर से कमहो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

ांक/वाद/2020/85

प्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:10:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 850 दिनांक:– 21/10/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कोशलाराम पुत्र रूगनाथराम निवासी मेगवालो का वास छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर		1. लक्ष्मणराम पुत्र टिकमाराम 9 वगैरा मेगवालो का वास छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 312 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मेगवालो का वास पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 603 / 473,619 / 475,621 / 606 रकबा 0.7847,1.8041,3.2360 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 851-55 दिनांक:– 21/10/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कोशलाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण लक्ष्मणराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा / बायतु / [illegible]

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:10:05 IST
Reason: SelfAttested